न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **159 / 2023** अन्तर्गत धारा 188, 92क, 208 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हुकमाराम गोदपुत्र हरचन्दराम जाति जाट, निवासी पोसाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. धापू देवी पत्नी गंगाराम 2. मीरो देवी पत्नी शंकराराम 3. शंकराराम पुत्र विरधाराम 4. खेराजराम पुत्र शंकराराम जाति जाट, निवासी पोसाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बालाराम गोदारा।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री जेठाराम कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 – बृजमोहन कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.08.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी के गोद पिता हरचंदराम की खातेदारी भूमि मौजा पोसाल, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 175, 347 / 193, 350 / 193, 351 / 172 रकबा क्रमशः 15.0620, 2.9137, 8.7169, 2.5414 हैक्टेयर एवं मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में हरचंदराम के फौत होने पर उनकी पत्नी अनूदेवी व गोदपुत्र वादी का कब्जा काश्त रहा तथा अनूदेवी के दिनांक 05.11.2001 को फौत होने से लेकर आदिनांक तक वादी अकेले का कब्जा बिना किसी रोक–टोक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। हरचंदराम व अनूदेवी के फौत होने पर उनके फौतगी नामांतरकरण में केवल वादी को ही उनका विधिक वारिश माना जाकर नामांतरकरण पारित किया गया है। वर्तमान में प्रतिवादीगण का विवादित आराजी के किसी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी वादी को अकेला समझकर अवैध रूप से वादी की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर उसे बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने से रोकने हेतु गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समझाईश करवाई गई, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा मानने से इंकार कर दिया। वादी के सरकारी नौकर होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं प्रतिवादीगण अपनी संख्याबल के आधार पर वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा होने से वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के खसरा नम्बर से वादी को बेदखल नही करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करने बाबत् एवं दौराने वाद प्रतिवादीगण का वादी की भूमि पर कब्जा पाया जाने पर हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये समन तामीली की तजवीज की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व रिश्तेदारों की समझाईश से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर विवादित आराजी के मौजा पोसाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347 / 193 रकबा 18.00 बीघा की सम्पूर्ण भूमि व मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 15.00 बीघा भूमि कुल रकबा 33.00 बीघा भूमि प्रतिवादीनी संख्या 2 के हक हिस्सा में घोषित की जाकर संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

अनुसार घोषणा की जाकर तथा शेष सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम व हक हिस्सा में बदस्तुर रखी जाने का निवेदन किया गया। वादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबध में अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दर्ज एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10759/2023 के निरस्त/खारिज होने की प्रति पेश की गई तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में विचाराधीन अपील संख्या 150/2024 की जरिये विड्रो खारिज की प्रति पेश की गई। साथ ही मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त विवादित आराजी के संबंध में अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद/अपील/याचिका विचाराधीन नहीं है।

वादी अधिववक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के मौजा पोसाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347/193 रकबा 18.00 बीघा की सम्पूर्ण भूमि व मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 15.00 बीघा भूमि कुल रकबा 33.00 बीघा भूमि प्रतिवादीनी संख्या 2 के हक हिस्सा में घोषित की जाकर संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा अनुसार घोषणा की जाकर शेष सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम व हक हिस्सा में बदस्तुर रखी जाने का निवेदन किया गया। राजीनामा उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार घोषणा किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् पूर्ण सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज है तथा मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा करने तथा उसे बेदखल करने पर आमादा होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध उन्हे बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीनी संख्या 2 की खातेदारी घोषणा की जाकर वाद स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के मौजा पोसाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347/193 रकबा 18.00 बीघा की सम्पूर्ण भूमि व मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 15.00 बीघा भूमि कुल रकबा 33.00 बीघा भूमि प्रतिवादीनी संख्या 2 के हक हिस्सा में घोषित करने तथा संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा अनुसार घोषणा की जाकर शेष सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम व हक हिस्सा में बदस्तुर रखी जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से पूर्व में जवाबदावा पेश कर विवादित आराजी में से 1/3 खातेदारी हिस्सा का अनुतोष चाहा गया था, जबकि बाद में आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार 33.00 बीघा भूमि घोषित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। राजीनामा उभयपक्षकारान् एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में अन्य न्यायालय में कोई वाद/अपील विचाराधीन नहीं होने का कथन किया गया है। अतः विवादित आराजी के संबंध में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने तथा राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन करने पर राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:33:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

लिहाजा वादी का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा पोसाल, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 175, 347/193, 350/193, 351/172 रकबा क्रमशः 15.0620, 2.9137, 8.7169, 2.5414 हैक्टेयर एवं मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर भूमि में से मौजा पोसाल, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 347/193 रकबा 2.9137 हैक्टेयर अर्थात 18.00 बीघा की सम्पूर्ण भूमि एवं मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 15.00 बीघा भूमि कुल रकबा 33.00 बीघा भूमि राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट में बरंग हरा अनुसार प्रतिवादीनी संख्या 2 की खातेदारी घोषित की जाती है तथा शेष भूमि वादी की खातेदारी यथावत रखी जाती है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा और राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट इस निर्णय व डिक्री के अभिन्न अंग रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested